न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/4101/2003/नागौर

राधाकिशन पुत्र सावंताराम मृतक जरिये विधिक वारिसानः–

1– रामगोपाल पुत्र राधाकिशन

2– रामेश्वरलाल पुत्र राधाकिशन

जाति आचार्य निवासी ग्राम कोलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर।

....अपीलार्थीगण

बनाम

1– रामधन) पुत्रगण मन्नाराम जाति ब्राहम्ण

2– भगवती प्रसाद) निवासी ग्राम कोलिया तहसील

3– प्रभूशंकर) डीडवाना जिला नागौर

....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थितः–
श्री जी0एस0लखावत, अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री एस0पी0सिंह, अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

––

निर्णय

दिनांकः06–11–19

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील सं0 24/2003 में पारित किए गए निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08–08–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने एक दावा अधिनियम की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत सहायक कलेक्टर, डीडवाना के न्यायालय में पेश कर कथन किया कि मौजा कोलिया में स्थित खसरा नं0 1418 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा व खसरा नं0 1438 रकबा 10 बीघा पर वादी का सदैव ही कब्जा काश्ज रहा है लेकिन भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान गलत इन्द्राज हो जाने के कारण अपीलार्थी पर प्रत्यर्थीगण के पिता ने दावा कर जरिये राजीनामा खसरा नं0 1417 की खातेदारी जो अपीलार्थी के नाम भूल से आ गई, उसे प्रत्यर्थीगण के नाम दर्ज करवाई गई लेकिन खसरा नं0 1418 व 1438 को अपीलार्थी के नाम दर्ज करवा देंगे, इस आशय की लिखापढ़ी की गई थी, जिसका अमल दरामद रेकार्ड में नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थीगण, अपीलार्थी को विवादित आराजी से बेदखल करने पर आमादा है। अतः अपीलार्थी को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जावें एवं प्रत्यर्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। प्रत्यर्थीगण ने जवाब पेश किया। तत्पश्चात् अपीलार्थीगण के निवेदन पर उक्त प्रकरण जिला कलक्टर, नागौर के आदेश दिनांक 06–11–2002 व पत्र क्रमांक कोर्ट 02/7859 दिनांक 21–11–2002 के अनुसार सहायक कलक्टर, जायल के न्यायालय में स्थानांतरित की गई। दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की गई। बाद सुनवाई सहायक कलक्टर, जायल ने अपने निर्णय व डिक्री 06–02–2003 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के न्यायालय में पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 08–08–2003 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में पेश की गई है।

3– सर्वप्रथम हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 पर सुनी। प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 के माध्यम से पेश निर्णय पक्षकारान के मध्य पूर्व में निर्णित दावे से संबंधित है, जिन्हें न्यायहित में अभिलेख पर लिया जाना उचित होगा अतः प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर इसमें उल्ल्लेखित निर्णय की प्रति को अभिलेख पर लिए जाने के आदेश दिए जाते है।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने लिखित बहस व निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दैहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी के प्रकरण को समुचित रूप से समझा ही नहीं, क्योंकि वास्तव में भूमि का पूर्व खसरा सं0 1061 था, जिस पर बहैसियत काश्तकार संवत् 2010 से पूर्व ही राधाकिशन व मन्नाराम बहिस्सा बराबर थे, संवत् 2017 में खातेदारी अकेले राधाकिशन के नाम, जो वर्तमान वाद में वादी है, के नाम अंकित हो गई, जो खसरा सं0 1417, 1418 व 1438 है, स्वंय वादी राधाकिशन ने भू प्रबंध अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर आधी भूमि मन्नाराम के नाम दर्ज करने बाबत् कथन किया। परिणामस्वरूप खसरा सं0 1417 वादी राधाकिशन के नाम अंकित कर दिया गया तथा खसरा सं0 1418 व 1438 प्रतिवादीगण के पिता मननाराम के नाम अंकित कर दिया गया। अब प्रतिवादीगण के पिता मन्नाराम द्वारा यह कहा गया कि राधाकिशन का जिस भूमि पर कब्जा काश्त है वह भूमि खसरा सं0 1418 व 1438 की है तथा मन्नाराम ने स्वंय कब्जा काश्त जिस भूमि पर बताया वह खसरा सं0 1417 की भूमि पर बताया तथा इस बाबत् दोनों ने लिखा पढ़ी की तथा इसी कारण वादी राधाकिशन की भूमि खसरा सं0 1417 को राजस्व वाद सं0 87/85 में प्रतिवादीगण के पिता के नाम निर्णय दिनांक 20–04–92

द्वारा अंकित करने का आदेश दिया गया तत्पश्चात् वर्तमान वाद के वादी राधाकिशन द्वारा जब वाद दायर किया गया तो मन्नाराम के पुत्रों ने लिखापढ़ी के तथ्य से इन्कार कर दिया, इस प्रकार स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय को प्रतिवादीगण के मात्र इन्कारी करने से प्रभावित होने की बजाय पूर्व वाद में स्वंय प्रतिवादीगण के पिता द्वारा वादपत्र के अअभिवचन पारित निर्णय तथा उक्त वाद में प्रस्तुत साक्ष्य को भी दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान वाद को निर्णित करना चाहिए था परन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने भिन्न भिन्न तथ्यों पर अपना विचार व विवेचन अंकित कर वर्तमान की स्प्रीड के विपरीत जोकर निर्णय पारित किए, जो निरस्त किए जाने योग्य है। उनका यह भी तर्क था कि वाद सं0 87/85 में मन्नीराम द्वारा किए गए अभिवचन दिए गए बयान तथा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20-04-92 से विबंध के सिद्धांत से मन्नीराम व उसके वारिसान पूर्णततया पाबंद है तथा किसी भी प्रकार का विपरीत कथन उनके द्वारा जो भी किया गया, वह मानने योग्य नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विबंध के सिद्धांत को तथा स्वीकारिक्तयों को नजरअंदाज कर पारित किए है, वह ए0आई0आर0 1954 एस0सी0 पेज 82 हैड नोट सी मान0 उच्चतम न्यायालय के विधिक दृष्टांत के पूर्णतया प्रतिकूल है। उनका यह भी तर्क था कि वादी राधाकिशन के नाम अंकित भूमि खसरा सं0 1417 मौके पर कब्जे के अनुसार उलट पुलट दर्ज होने का कथन कर मन्नीराम ने स्वंय के नाम जरिये वाद दर्ज करवा ली तथा इन्हीं तथ्यों तथा इसी प्रकार की लिखावट जो एक ही दिन लिखी गई उसके आधरार पर वर्तमान वादी ने खसरा सं0 1418 व 1438 बाबत् दुरुस्ती का वाद पेश किया तो न्यायालय द्वारा प्रिसिंपल ऑफ एस्टोपल को पूर्णतया नजरअंदाज कर वाद का निस्तारण अलग ही प्रकार से कर विधिक त्रुटि कारित की है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने ए0अआई0आर0 2003 स0सी0 पेज 578 के

न्यायिक दृष्टांत का सहारा लिया। उनका यह भी तर्क था कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी के वाद को भू प्रबंध की त्रुटि से संबंधित वाद नहीं होना मानकर तथा खातेदारी के नये अधिकारों की प्राप्ति से संबंधित वाद में शुमार कर भारी त्रुटिकारित की है तथा इसके अनुसरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वाद एवं अपील को परीक्षित करने का आधार व पहुँच पूर्णतया विधि विपरीत रही है तथा जो निष्कर्ष प्रदान किए गए है वह पूर्व वाद के अभिवचनों तथा वाद की मोईयत के विपरीत है। अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि द्वितीय अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें।

5– योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने लिखित बहस में निवेदन किया कि प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के पिता मन्नाराम का विवादित आराजी पर प्रारम्भ से ही कब्जा काश्त रहा है तथा उक्त भूमि उनकी खातेदार की रही है। प्रतिवादीगण के पिता ने अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 16–06–85 को कोई लिखित तहरीर नहीं करवाई। अपीलार्थी ने उक्त लिखापढ़ी फर्जी तौर पर अपने पक्ष में तहरीर करवाई है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अपंजीकृत लिखापढ़ी के आधार पर कानूनन वाद पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता है, इसी सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने निर्णय व डिक्री पारित किए है। अपने तर्क के समर्थन में उन्जहजोंने 2001 पार्ट 2 डी0एन0जे0 राज0 पेज 679, 2000 आर0बी0जे0 पेज 137, 2002 आर0आर0डी0 पेज 582 के न्यायिक दृष्टांतों का सहारा लिया। उनका यह भी तर्क था कि वाद पत्र सं0 87/85 में अपीलार्थी राधाकिशन ने उक्त खेत खसरा नं0 1417 प्रतिवादी के पिता मन्नाराम के ही कब्जे काश्त एवं खातेदारी का होना स्वीकार किया है तथा उक्त वाद में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20–04–92 को अपीलार्थी

ने आज दिनांक तक कोई अपील द्वारा चुनौति नहीं दी है। उनका यह भी तर्क था कि अपीलार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत वाद सं0 105/1993 को साबित करवाए जाने हेतु कोई भी राजस्व रिकार्ड, जमाबंदी इत्यादि पेशर नहीं की एवं ना ही राजस्व रिकार्ड को प्रदर्शित करवाया गया है। इस कारण मौखिक साक्ष्य के आधार वादी/अपीलार्थी को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। अपने तर्क के समर्थन में 2003 आर0आर0डी0 पेज 32, 2003 आर0आर0डी0 पेज 423 के न्यायिक दृष्टांत का सहारा लिया। उनका यह भी तर्क था कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है, जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज किया जावें।

6– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7– प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी/वादी द्वारा जिस आधार पर वाद लाया गया है वह उसे साक्ष्य के आधार पर सिद्ध करने में असफल रहा है। वादी को अपना वाद स्वंय सिद्ध करना हाता है, वह किसी अन्य व्यक्ति के कथन के आधार पर अपने वाद को डिक्री नहीं करवा सकता। हम पूर्व में पारित निर्णयों एवं अभिलेख पर ऐसा कोई तथ्य नहीं पाते, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो को अभिलेख के विपरीत कहा जा सके। हमारी राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति पर पूर्ण विवेचन एवं विलेषण करते हुए अपने समवर्ती निष्कर्ष अंकित किए है। हमारी राय में द्वितीय अपील का क्षैत्र सीमित है और इसके माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में उस समय

तक हस्तक्षेप किया जाना विधिसम्मत नहीं है जब तक यह निष्कर्ष अभिलेख के विपरीत न हो। इस प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थिति अथवा साक्ष्य प्रकट नहीं होती, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो को अभिलेख के विपरीत माना जा सके। अतः द्वितीय अपील को खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य